क्रम-संख्या--77

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41

लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 28 मार्च, 2001

चैत्र 7, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 764/सत्रह-वि-1--1 (क)-3-2001

लखनऊ, 28 मार्च, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 27 मार्च, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 30 दिसम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 16 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क, 33-ख, 33-ग और 33-घ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतन्त्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेगी" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क, 33-ख, 33-ग, 33-घ और 33-च के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्ध-तन्त्र द्वारा बोर्ड को सिफारिश पर ही की जायेगी" रख दिए जायंगे।

धारा 18 का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी; अर्थात् :—

"18—(1) जहां प्रबंधतंत्र ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार बोर्ड को, किसी रिक्ति की सूचना दी हो, और किसी प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक का पद वास्तव में दो मास से अधिक रिक्त रहा हो, वहां प्रबंधतंत्र ऐसी रिक्ति को,—

तदर्थ प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक

(क) प्रधानाचार्य के पद में किसी रिक्ति के संबंध में, प्रवक्ता श्रेणी के;

(ख) प्रधान अध्यापक के पद में किसी रिक्ति के संबंध में, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के;

ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके पूर्णतया तदर्थ आधार पर भरेगा।

(2) जहां प्रबंधतंत्र उपधारा (1) के अधीन ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करने में विफल रहे, वहां निरीक्षक ऐसे अध्यापक की पदोन्नति का आदेश स्वयं जारी करेगा और संबंधित अध्यापक उस दिनांक से जब वह पदोन्नति के ऐसे आदेश के अनुसरण में ऐसे पद का कार्यभार ग्रहण करे, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के रूप में अपना वेतन पाने का हकदार होगा।

(3) जहां ऐसा अध्यापक, जिसे उपधारा (2) के अधीन पदोन्नति का आदेश जारी किया गया हो, प्रबंधतंत्र के किसी कार्य या लोप के कारण, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो वहां ऐसा अध्यापक अपने कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निरीक्षक को प्रस्तुत कर सकता है और तत्पश्चात् वह उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के दिनांक से, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के रूप में अपना वेतन पाने का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन तदर्थ प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावहीन हो जायेगी, जब ऐसा अभ्यर्थी जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा की गयी हो, कार्यभार ग्रहण कर ले।"

नई धारा 33-च का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 33-ङ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"33-च (1) ऐसे किसी अध्यापक को प्रबंधतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायगी जो,—

अल्पकालिक रिक्तियों के प्रति नियुक्तियों का विनियमितीकरण

(क) समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा-2 के अनुसार प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 14 मई, 1991 को या उसके पश्चात् किन्तु 6 अगस्त, 1993 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित कर दिया गया था;

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबंधों के अनुसार विहित अर्हतायें रखता हो या जिसे ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो;

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरंतर कार्य कर रहा हो;

(घ) धारा 33-ग की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार मौलिक रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया हो।

(2) (क) मौलिक नियुक्ति के लिये अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक में यथा-अवधारित ज्येष्ठता-क्रम में की जायगी।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।

(4) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिये पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे नियुक्ति पर नहीं रह जायगा।

(5) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिये हकदार हो जायगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिये इस अधिनियम के अनुसार पहले से ही चयन कर लिया गया है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2000

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

2--ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 अधिनियमित है। वर्ष 1982 के उक्त अधिनियम की धारा 18 में प्रबन्धतन्त्र को वर्ष 1921 के उक्त अधिनियम के अधीन विहित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से कतिपय परिस्थितियों के अधीन तदर्थ आधार पर अध्यापकों को नियुक्ति करने के लिए सशक्त किया गया था। उक्त धारा 18 के अधीन नियुक्त कतिपय तदर्थ अध्यापक लम्बे समय से निरन्तर कार्य कर रहे थे। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि केवल प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर भरने, और कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले कतिपय अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिये वर्ष 1982 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2000) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 764 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 3-2001

Dated Lucknow, March 28, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 27, 2001.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act, no. 5 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 30, 2000.

Amendment of section 16 of U. P. Act no. 5 1982

2. In section 16 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words and figures "sections 12, 18, 21-B 21-C, 21-D, 33, 33-A, 33-B, 33-C and 33-D, every appointment of a teacher shall on or after the date of the commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Amendment) Act, 1998 be made by the management only on the recommendation of the Board" the words and figures "sections 12, 18, 21-B, 21-C, 21-D, 33, 33-A, 33-B, 33-C, 33-D and 33-F, every appointment of a teacher, shall on or after the date of the commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2001 be made by the management only on the recommendation of the Board" shall be *substituted*.

Substitution of section 18

3. *For* section 18 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :-

Ad-hoc Principals or Headmasters

"18 (1) Where the Management has notified a vacancy to the Board in accordance with sub-section (1) of section 10 and the post of the Principal or the Headmaster actually remained vacant for more than two months, the Management shall fill such vacancy on purely *ad hoc* basis by promoting the senior most teacher,—

(*a*) in the lecturer's grade in respect of a vacancy in the post of the Principal.

(*b*) in the trained graduate's grade in respect of a vacancy in the post of the Headmaster.

(2) Where the Management fails to promote the senior most teacher under sub-section (1) the inspector shall himself issue the order of promotion of such teacher and the teacher concerned shall be entitled to get his salary as the Principal or the Headmaster, as the case may be, form the date he joins such post in pursuance of such order of promotion.

(3) Where the teacher to whom the order of promotion is issued under sub-section (2) is unable to join the post of the Principal or the Headmaster, as the case may be, due to any act or omission on the part of the Management, such teacher may submit his joining report to the inspector, and shall thereupon be entitled to get his salary as

the Principal or the Headmaster, as the case may be, from the date he submits the said report.

(4) Every appointment of an *ad-hoc* Principal or Headmaster under sub-section (1) or sub-section (2) shall cease to have effect from the when the candidate recommended by the Board joins the post."

Insertion of new section 33-F

4. *After* section 33-E of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"33-F (1) Any teacher who,—

Regularisation of appointments against short term vacancies

(*a*) was appointed by promotion or by direct recruitment in the lecturer's grade or trained graduates grade on or after May 14, 1991 but not later than August 6, 1993 against a short term vacancy in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) (Sceond) Order, 1981, as amended from time to time, and such vacancy was subsequently converted into a substantive vacancy.

(*b*) possesses the qualification prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with, the provisions of the Intermediate Education Act, 1921.

(*c*) has been continuously serving the institution from the date of such appointment up to the date of the commencement of the Uttar Pradesh Seconday Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2001.

(*d*) has been found suitable for appointment in a substantive capacity by the Selection Committee referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 33-C in accordance with the procedure prescribed under clause (b) of the said sub-section;

Shall be given substantive appointment by the Management.

(2) (*a*) The names of the teachers shall be recommended for substantive appointment in order of seniority as determined from the date of their appointment.

(*b*) If two or more such teachers are appointed on the same date the teacher who is elder in age shall be recommended first.

(3) Every teacher appointed in a substantive capacity under sub-section (1) shall be deemed to be on probation from the date of such substantive appointment.

(4) A teacher who is not found suitable under sub-section (1) and a teacher who is not eligible to get a substantive appointment under that sub-section shall cease to hold the appointment on such date as the State Government may by order specify.

(5) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment, if on the date of the commencement of the ordinance referred to in clause (c) of sub-section (1) such vacancy had already been filled or selection for such vacancy has already been made in accordance with this Act."

U. P. Ordinance no. 19 of 2000

Repeal and savings

5. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 is enacted to establish a Secondary Education Services Selection Board for the selection of teachers in institutions recognised under the Intermediate Education Act, 1921. Section 18 of the said Act of 1982 empowered the management to appoint teachers under certain circumstances on *ad-hoc* basis from amongst the persons possessing qualifications prescribed under the said Act of 1921. Certain *ad-hoc* teachers appointed under the said section 18 had been serving continuously since long. It was, therefore, decided to amend the said Act of 1982 to provide for filling vacant posts of Principals and Headmasters only on *ad-hoc* basis by promotion and to regularise the services of certain teachers fulfilling certain conditions.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision. the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 2000 (U. P. Ordinance no. 19 of 2000) was promulgated by the Governor on December 30, 2000.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 298 सा० विधा०-(7439)--2001--850 (मैक०)।